

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक 40/2011 विक्रम संवत् 2068 5(शु0) मार्गशीर्ष 1933 (शा0) जमशेदपुर, मंगलवार, 29/11/11

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू- अर्जन विभाग का अधिसूचना।

विषय सूची 1. भू-अर्जन विभाग से सम्बंधित अधिसूचना। पृष्ठ संख्या 01-17

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।  
अधिसूचना

संख्या -793 /

दिनांक -18.11.11

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - **खड़बान्द चादर नं0-2**, परगना ....., थाना-घाटशिला, थाना नं0- **514**, जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **सरडीहा उप वितरणी ओ0 एल0 58 निर्माण** के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **खड़बान्द चादर नं0-2**, के भीतर भूमि का **7 टुकड़ा** अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **3.42 एकड़** के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि का अंश खेसरा संख्या- 1003, 1004, 1008, 1010, 1668, 1012, एवं 1369  
चौहद्दी

उत्तर - संयुक्त सीमा रेखा ग्राम - चैठा नं0 353 एवं कलसीमूँग नं0 - 352 तथा अंश खेसरा संख्या 1010, 1011 एवं 1012

पुरब - संयुक्त सीमा रेखा ग्राम - कलसीमूँग 352

दक्षिण - अंश खेसरा संख्या - 1369, 1013, 1012, 1668, 1011, 1010, 1009, 1008, 1658, 1005, 1656, 1004, 1003, 1655 एवं 1002

पश्चिम - अंश खेसरा संख्या - 1002

नोट - अनावार झारखण्ड सरकार की भूमि का खेसरा संख्या 1655, 1656, 1658, 1659, 1660 का रकवा 0.57 एकड़ तथा वन भूमि का खेसरा संख्या 1002, 1005, 1009, 1011, 1013, का रकवा 5.56 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

लगातार-2

(2)

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालूडीह के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक -793 / जमशेदपुर, दिनांक -18.11.11  
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।  
अधिसूचना

संख्या -794 /

दिनांक -18.11.11

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - लोधाशोली चादर नं0-1, परगना .....,थाना-घाटशिला, थाना नं0- 515, जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक

लगातार-3

(3)

प्रयोजनार्थ अर्थात् सरडीहा उप वितरणी ओ0 एल0 58 निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम-लोधाशोली चादर नं0-1,के भीतर भूमि का 22 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 11.36 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या-366 तथा अंश खेसरा संख्या- 125, 129, 130, 137, 131, 136, 133, 1597, 338, 339, 337, 334, 340, 348, 365, 364, 367, 363, 362, 360, 361

### चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-126, 129, 130, 131, 133, 1597, 337, 1598, 346, 338, 339, 340, 348, 364, 365, 363, 362, 360, 361

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम कुलवादिया नं0-516

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-361, 362, 363, 367, 348, 334, 337, 346, 1598, 347, 1597, 133, 136, 137, 125, 3 एवं 11 351

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या-1 एवं संयुक्त सीमा रेखा ग्राम देवशोल नं0-351

नोट - अनावार झारखण्ड सरकार की भूमि का खेसरा संख्या 1598, 346 का रकबा 0.32 एकड़ तथा वन भूमि का खेसरा संख्या 1598, 346 का रकबा 0.32 एकड़ तथा वन भूमि का खेसरा संख्या-1, 3, 126, 720 का रकबा -2.38 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

यह अधिसूचना भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर अपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालूडीह के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

लगातार-4

(4)

ज्ञापांक 794 / जमशेदपुर, दिनांक -18.11.11  
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भु-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।  
अधिसूचना

संख्या -795 /

दिनांक -18.11.11

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - कुलबादिया चादर नं0-1, परगना ....., थाना-घाटशिला, थाना नं0- 516, जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सरडीहा उप वितरणी ओ0 एल0 58 निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- कुलबारिया चादर नं0-1, के भीतर भूमि का 39 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 11.97 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या-148, 184, 126, 146 तथा अंश खेसरा संख्या- 68, 63, 67, 86, 74, 73, 79, 78, 77, 75, 76, 127, 123, 147, 143, 152, 157, 154, 212, 211, 167, 166, 169, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 183, 185, 186, 182, 105, 125

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-83, 86, 75, 76, 127, 130, 133, 143, 141, 146, 156, 157, 161, 167, 166, 169, 170, 178, 171, 175, 176, 183, 182,

पूरब :- मिलान चाहर नं0-2

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-186, 185, 176, 174, 173, 168, 167, 211, 212, 213, 161, 158, 159, 154, 155, 152, 150, 133, 132, 123, 124, 105, 77, 78, 79, 73, 67, एवं 68

पश्चिम:- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम लोधाशोली नं0-515

नोट - अनावार झारखण्ड सरकार की भूमि का खेसरा संख्या 155, 145, 141, 159, 158, 213, 175, 124, का रकबा 0.86 एकड़ तथा वन भूमि का खेसरा संख्या 131, 130, 133, 134, 150, 156, 161, 178, 171, 132, 149, का रकबा 5.76 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

लगातार-5

(5)

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालूडीह के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/—

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक -795 / जमशेदपुर, दिनांक -18.11.11  
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,

समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,

। भू-अर्जन शाखा ।

अधिसूचना

संख्या -796 /

दिनांक -18.11.11

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - कुलबादिया चादर नं०-2, परगना ....., थाना-घाटशिला, थाना नं०- 516, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सरडीहा उप वितरणी ओ० एल० 58 निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर

लगातार-6

(6)

सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्ववत् ग्राम— कुलबारिया चादर नं०-2,, के भीतर भूमि का 42 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 12.33 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या—1070, 1024, तथा अंश खेसरा संख्या—935, 937, 938, 939, 933, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 1068, 1069, 1072, 1071, 1075, 1027, 1022, 957, 990, 1020, 1021, 1025, 1018, 1017, 1016, 1073, 1014, 1013, 974, 977, 978, 980, 981, 982, 985, 986, एवं 984

#### चौहदी खण्ड—क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—938, 939, 940, 957, 1068, 1069, 1063, 1062, 1027, 1022 एवं 1707

पूरब :- अंश खेसरा संख्या—1020, 1022 एवं 1021

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या—1027, 1062, 1075, 1071, 1072, 957, 946, 945, 944, 943, 942, 941, 933, 937 एवं 935

पश्चिम:- मिलान चाहर नं०-1

#### चौहदी खण्ड—ख

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या — 972, 973, 971, 977, 981, 982, एवं 984

पूरब :-संयुक्त सीमा रेखा ग्राम — उदाल नं० 523

दक्षिण :-अंश खेसरा संख्या — 985, 986, 980, 978, 975, 977, 976, 975, 1012, 1014, 1016, 1017, 1018, एवं 1020।

पश्चिम:-अंश खेसरा संख्या 1021, 1022, एवं 1026

नोट — अनावाद झारखण्ड सरकार की भूमि का खेसरा संख्या 1062, 1023, 972, 1026, 1012, 975, 976 का रकबा 0.98 एकड़ तथा वन भूमि का खेसरा संख्या 1063, 971 का रकबा 0.61 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है

अंश खेसरा संख्या— 447, 449, 450, 458, 457, 456 एवं संयुक्त सीमारेखा ग्राम— देवशोल नं०-351

पूरब :-

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या—561, 456, 457, 459, 449, 443 एवं 445

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या—442 एवं 445

नोट :-अनावाद झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या—440 का रकबा 0.02 एकड़ तथा वनभूमि का खेसरा संख्या—436,449,447,450,का रकबा 2.37 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर किया गया है

यह अधिसूचना भू —अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

लगातार—7

(7)

अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालूडीह के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक -796 /

जमशेदपुर,

दिनांक -18.11.11

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।  
अधिसूचना

संख्या -797 /

दिनांक -18.11.11

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - उदाल चादर नं0-1, परगना ....., थाना-घाटशिला, थाना नं0- 523, जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सरडीहा उप वितरणी ओ0 एल0 58 निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- उदाल चादर नं0-1, के भीतर भूमि का 41 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 12.32 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

लगातर-8

(8)

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि का पूर्ण खेसरा संख्या-182, 169 तथा अंश खेसरा संख्या- 188, 187, 178, 185, 183, 179, 171, 180, 181, 184, 168, 170, 173, 167, 166, 164, 163, 160, 155, 154, 144, 145, 143, 55, 142, 56, 52, 60, 47, 61, 64, 69, 70, 44, 43, 26, 25, 15, एवं 165

### चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या - 178, 179, 180, 171, 170, 173, 166, 165, 164, 158, 157, 155, 144, 55, 56, 57, 52, 48, 49, 47, 46, 49, 45 एवं 14

पूरब :- मिलान चाहर नं० - 2

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या - 15, 17, 25, 26, 43, 70, 69, 64, 47, 61, 49, 57, 56, 142, 143, 55, 154, 158, 160, 163, 167, 168, 184, 183, 185, 187, एवं 188

पश्चिम:- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम - कुलवादिया नं० 516

नोट - अनावाद झारखण्ड सरकार की भूमि का खेसरा संख्या 1830, 157, 57, 48, 17, 16, 14, का रकबा 1.80 एकड़ तथा वन भूमि का खेसरा संख्या 158, 49, 46, 45 का रकबा 2.44 भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर अपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालूडीह के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

लगातार-9



(9)

ज्ञापांक-797 /

जमशेदपुर,

दिनांक -18.11.11

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / -

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।

अधिसूचना

संख्या -798 /

दिनांक -18.11.11

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - **उदाल चादर नं0-2**, परगना ..... ,थाना-घाटशिला, थाना नं0- **523**, जिला-**पूर्वी सिंहभूम** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **सरडीहा उप वितरणी ओ0 एल0 58 निर्माण** के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **उदाल चादर नं0-2**, के भीतर भूमि का **35** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **9.00** एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि का पूर्ण खेसरा संख्या- 1535, 1548, अंश खेसरा संख्या-1521, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1529, 1536, 1549, 1557, 1550, 1551, 1547, 1546, 1553, 1587, 1467, 1466, 1588, 1441, 1440, 1438, 1436, 1590, 1589, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597, 1596, 1579

### चौहदी

उत्तर - अंश खेसरा संख्या - 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1557, 1550, 1551, 1553, 1587, 1588, 1589, 1591, 1592, 1593, 1594, 1596, 1597 1579

पुरब - संयुक्त सीमा रेखा ग्राम -डुमुरडीहा थाना नं0- 524

दक्षिण - अंश खेसरा संख्या - 1579, 1596, 1597, 1595, 1594, 1593, 1592, 1591, 1590, 1436, 1367, 1438, 1440, 1441, 1588, 1466, 1467, 1553, 1547, 1546, 1549, 1536, 1539, 1530 1521

पश्चिम - मिलान चादर नं0-1

नोट - अनावान झारखण्ड सरकार की भूमि का खेसरा संख्या 1439 का रकवा 0.08 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

लगातार-10

(10)

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालूडीह के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।  
ज्ञापांक -798 / जमशेदपुर,

ह0/-

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।  
दिनांक -18.11.11

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।  
अधिसूचना

संख्या -799 /

दिनांक -18.11.11

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - कलसीमुँग, परगना ....., थाना-घाटशिला, थाना नं0- 352, जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ

लगातार-11

(11)

अर्थात् सरडीहा उप वितरणी ओ0 एल0 58 निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम— कुलसीमुँग, के भीतर भूमि का 11 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 4.42 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या— 437, 441, 439, 442, 445, 443, 458, 459, 457, 456 एवं 461

#### चौहदी खण्ड—क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—436, 437, 449, 440, 441 एवं 442

पूरब :- अंश खेसरा संख्या—447 एवं 443

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या—445, 439 एवं 437

पश्चिम:- संयुक्त सीमारेखा ग्राम—खड़बौध नं0—514

#### चौहदी खण्ड—ख

उत्तर :-अंश खेसरा संख्या—447,449,450,458,457,456 एवं संयुक्त सीमारेखा ग्राम— देवशोल नं0—351

पूरब :-

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या—561, 456, 457, 459, 449, 443 एवं 445

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या—442 एवं 445

नोट :- अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या—440 का रकबा 0.02 एकड़ तथा वनभूमि का खेसरा संख्या—436, 449, 447, 450, का रकबा 2.37 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर किया गया है।

यह अधिसूचना भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर अपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालूडीह के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

(12)

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक -799 /

जमशेदपुर,

दिनांक -18.11.11

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।  
अधिसूचना

संख्या -800 /

दिनांक -18.11.11

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - देओशोल, परगना ....., थाना-घाटशिला, थाना नं0- 351, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सरडीहा उपवितरणी ओ0 एल0-58 लघु नहर निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- देओशोल के भीतर भूमि का 2 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 0.15 एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन खेसरों की अंश खेसरा संख्या- 572 एवं 563

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-573, 574, 572, 563, 577

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-575, 576

(13)

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-576 एवं संयुक्त सीमा रेखा ग्राम लोधाशोली 515

पश्चिम:- संयुक्त सीमारेखा ग्राम कुलसीमुँग 352

नोट - वनभूमि का खेसरा संख्या 574,573, 577, 575, 576 का रकवा 2.53 एकड़ मूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर अपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालूडीह के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक -800

/

जमशेदपुर,

दिनांक -18.11.11

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

(14)

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।  
अधिसूचना

संख्या -801 /

दिनांक -18.11.11

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - **चैठाचादर नं0-1**, परगना ....., थाना-घाटशिला, थाना नं0- **353**, जिला-**पूर्वी सिंहभूम** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् **सरडीह उप वितरणी ओ0 एल0 58 निर्माण** के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **चैठा चादर नं0-1**, के भीतर भूमि का **16** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **5.59** एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या-471 तथा अंश खेसरा संख्या- 449, 452, 455, 454, 453, 464, 460, 466, 462, 463, 465, 464, 472, 469 एवं 473

**चौहदी खण्ड-क**

उत्तर :-} अंश खेसरा संख्या-446 एवं 447  
पूरब :-}  
दक्षिण :-} अंश खेसरा संख्या-446  
पश्चिम:-}

**चौहदी खण्ड-ख**

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या- 447,449,455,454,460,466,462,465, 469, 470, 477 एवं आर एफ, 478  
पूरब :- मिलान चादर नं0-2

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-आर एफ, 478,474,477,473,472,464,463,462,460, 453, 452 एवं 447  
पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या-446 एवं 447

नोट :- अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या-446, 447, 450, 470, 477, 474 का रकबा 10.46 एकड़ तथा वनभूमि का खेसरा संख्या आर एफ 478 का रकबा 3.60 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर किया गया है।

यह अधिसूचना भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

लगातार-15

(15)

अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालूडीह के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबधित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह0 / -

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0 / -

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 801

/

जमशेदपुर,

दिनांक 18.11.11

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / -

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,  
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,  
। भू-अर्जन शाखा ।  
अधिसूचना

संख्या -802 /

दिनांक -18.11.11

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - चैठाचादर नं0-2, परगना ....., थाना-घाटशिला, थाना नं0- 353, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सरडीह उप वितरणी ओ0 एल0 58 निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर

लगातार-16

(16)

सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम— **चैठा चादर नं0-2**, के भीतर भूमि का **4** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **2.11** एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-  
अर्जनाधीन भूमि की अंश खेसरा संख्या— 1266, 1265, 1264 एवं 1263

### चौहदी खण्ड—क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—1243, 1244, 1266, 1265, 1263, 1267, एवं 1268

पूरब :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम— खड़बौध नं0-514 एवं कलसीमूंग नं0 352

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या—1267 एवं 1268

पश्चिम:- मिलान चादर नं0-1

नोट :- अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या—1268, 1244 का रकबा 0.63 एकड़ तथा वनभूमि का खेसरा संख्या 1243, 1267 का रकबा 0.74 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर किया गया है।

यह अधिसूचना भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम 11 जून 1961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर अपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे कार्यपालक अभियंता बराज प्रमण्डल, गालूडीह के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबन्धित या विनिनिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए उपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति सामिल होने के 30 दिनों के भीतर धारा-5(ए) के अन्तर्गत सम्बन्ध व्यक्ति द्वारा उक्त धारा के अधीन अपर उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम,

लगातार-17



(17)

जमशेदपुर के समक्ष, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में दाखिल की गई अर्जन सम्बन्धी अपत्तियों पर बिचार किया जायेगा।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/—

अपर उपायुक्त,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 802

/

जमशेदपुर,

दिनांक -18.11.11

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी, हिन्दुस्थान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/—

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,  
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।